


संख्या: 1338/एम0सी0जे0-2026/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।
02. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
03. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
04. कुलपति, अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
05. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
06. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
07. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
08. आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कालेज, झाँसी।
09. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, मेडिकल कालेज, झाँसी।
10. नोडल अधिकारी, ई-हास्पिटल/बायोमैट्रिक/एन0एम0सी0/वेबसाइट मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
11. प्रभारी अधिकारी, छात्रानुभाग, मेडिकल कालेज, झाँसी।
12. लेखानुभाग (कॉलेज) द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
13. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।


प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।
संख्या:- /एम0सी0जे0-2026/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति

दिनांक: जून-2026

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के शासकीय पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 लखनऊ दिनांक-14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक-14.06.2024 जोकि, इस कार्यालय के डायरी संख्या-4303 दिनांक-14.06.2024 पर अंकित है, के क्रम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 02-जून-2026 को लिये गये साक्षात्कार में चयनित सामान्य सर्जरी (सृजित 01 पद ट्रामा) विभाग विशिष्टताओं में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षक के रूप में 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक-

01. ओपीडी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
02. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का समय एवं स्थान को अंकित करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
03. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
04. मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
05. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
06. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
07. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
08. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।
09. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने से 15 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करे ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. बाण्ड अभ्यर्थी को महानिदेशालय द्वारा निर्गत अनादेय प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
11. यदि आप मरीज/छात्र एवं संस्था के विरुद्ध कार्य करते पाये जाते हैं तो आपकी सेवाएं एक माह का नोटिस देते हुए समाप्त कर दी जाएगी।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15-12-2008 तथा शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011 दिनांक 11-04-2013, शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-2014-जी63/08, दिनांक 22-01-2015, शासनादेश संख्या-104/2019/5044/71-1-9-जी-63/2008 दिनांक 21-11-2019 एवं शासनादेश संख्या-819/71-1-2015-जी-77/2015, दिनांक 24-04-2015, दिनांक 24-04-2015 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेगे।

4- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 21-11-2019 एवं 18-07-2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य

मेडिकल कालेज, झाँसी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्या:- /एम0सी0जे0-2026 / ई0सी0-1 / संविदा-नियुक्ति

दिनांक: 10 जून-2026

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के शासकीय पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 लखनऊ दिनांक-14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक-14.06.2024 जोकि, इस कार्यालय के डायरी संख्या-4303 दिनांक-14.06.2024 पर अंकित है, के कम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 02-जून-2026 को लिये गये साक्षात्कार में चयनित रेडियोडायग्नोसिस, विभाग विशिष्टताओं में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षक के रूप में 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है। आचार्य पद पर नियमित अथवा (कटेगरी के आधार पर) कोई भी अभ्यर्थी आता है तो आपकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी।

2- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक-

01. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।

02. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का समय एवं स्थान को अंकित करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

03. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

04. मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।

05. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।

06. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।

07. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।

08. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।

09. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने से 15 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करे ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

10. बाण्ड अभ्यर्थी को महानिदेशालय द्वारा निर्गत अनादेय प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा

11. यदि आप मरीज/छात्र एवं संस्था के विरुद्ध कार्य करते पाये जाते हैं तो आपकी सेवाएं एक माह का नोटिस देते हुए समाप्त कर दी जाएगी।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15-12-2008 तथा शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011 दिनांक 11-04-2013, शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-2014-जी63/08, दिनांक 22-01-2015, शासनादेश संख्या-104/2019/5044/71-1-9-जी-63/2008 दिनांक 21-11-2019 एवं शासनादेश संख्या-819/71-1-2015-जी-77/2015, दिनांक 24-04-2015, दिनांक 24-04-2015 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।


4- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 21-11-2019 एवं 18-07-2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य

मेडिकल कालेज, झाँसी।

आदेश संख्या:-1322/एम0सी0जे0-2026/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति, दिनांक-9-06-2026 का
संलग्नक

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	जन्मतिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी	रोस्टर की वांछित श्रेणी
1	सर्जरी विभाग (सहायक-आचार्य)	डा० व्योम शरण पता-17, अन्दर दतिया गेट, झॉसी।	18-02-1990	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (द्रामा)



प्रधानाचार्य

मेडिकल कालेज, झॉसी।

आदेश संख्या:- 1330/एम0सी0जे0-2026/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति, दिनांक 10-06-2026 का

संलग्नक

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	जन्मतिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी	रोस्टर की वांछित श्रेणी
1	रेडियोडायग्नोसिस विभाग (सह-आचार्य)	डा० प्रीती तिवारी पता-718 हाईवे होटल, मशीसागंज सीपरी बाजार, झॉसी।	30-01-1992	सामान्य	अनुसूचित जाति

Sudhakar

प्रधानाचार्य

मेडिकल कालेज, झॉसी।